फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

ग्यारसा बनाम भैरूराम वगै0

केस संख्या : प्रा.पत्र 44/2025

किस्म मुकदमा:- प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम – 1955

केस संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
	10-6-25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी ने रजि.ए.डी. रसीद व ट्रैक पेश की मुताबिक ट्रैक तामील पूर्ण हो चुकी है अप्रार्थी-1 अनुपस्थित है अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17/6/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	17-6-25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि अप्रार्थी-1 आये दिन प्रार्थीगण की कब्जे-काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि में कब्जे-काश्त में मजाहमत करते है व मिंवडोल को तोड़कर जबरन कब्जा करने पर उतारू है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेज, नक्शा व पत्रावली का अवलोकन किया। विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत है। तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है अतः वाद बहुलता को रोकने के लिए आदेश दिनांक [illegible] 2025 को [illegible] के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:41:50 IST
Reason: SelfAttested